जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, उत्तराखण्ड

में

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित) –

(The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान से सम्बन्धित निर्णय एवं पर्यवेक्षण विभागाध्यक्ष की सीमाओं के अन्तर्गत निदेशक द्वारा तथा अन्य निर्णय समस्त निर्णय राज्य औषधीय पादप बोर्ड, (SMPB) उत्तराखण्ड, देहरादून की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में लिये जाते हैं। अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा अनुंसधान संबंधी मामलों में विभिन्न कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। नीति विषयक मामलों में निर्णय शासन द्वारा लिया जाता है, निर्णय करने की प्रक्रिया, समीक्षा और परीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रक्रिया निम्न प्रकार से हैः–

1. प्रस्ताव की शुरूआतः–किसी भी निर्णय या नीतिगत मामले में पत्रावली सम्बन्धित सहायक, तकनीकी कार्मिक, वैज्ञानिक द्वारा प्रारम्भ की जाती है।
2. समीक्षा और परीक्षणः–पत्रावली प्रारम्भ करने वाले कार्मिक से ठीक ऊपर वाले कार्मिक/वैज्ञानिक/अधिकारी द्वारा पत्रावली के तथ्यों एवं नियमों की जांच की जाती है।

3. अंतिक स्वीकृतिः–सभी प्रस्ताव अंतिम निर्णय और प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति/निर्देशों के लिए विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

4. नियमित समीक्षाः– संस्थान के सभी कार्यो, योजनाओं और बजट उपयोग आदि के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष द्वारा मासिक बैठक का आयोजन कर निरंतर निगरानी की जाती है।

5. गुणवत्ता नियंत्रणः–संस्थान द्वारा किये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता और समय–सीमा सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्ष/वैज्ञानिकों द्वारा औचक निरीक्षण और कार्यो की प्रगति का विश्लेषण किया जाता है।

6. पारदर्शिता और ऑडिटः–संस्थान कार्यो हेतु लिए गये निर्णयों का उचित अभिलेखीकण किया जाता है।

• -